(5) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 1969.

(6) The Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1969.

(7) The Gold (Control) Amendment Bill, 1969

(8) The Criminal and Election Laws Amendment Bill, 1969

(9) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1969

(10) The Delhi High Court (Amendment) Bill, 1969

(11) The Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969.

RULES COMMITTEE

FOURTH REPORT

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Sir, before laying on the Table the Report of the Rules Committee, I beg to say a few words. When I came into the Lok Sabha this morning, I found that I was like a man who entered the China shop which has been attacked by a pair of bulls. I am new in this seat and I have not yet acclimatized myself to this seat ; the seats have been reallocated. So, if I falter in reading, please forgive me.

Sir, I beg to lay on the Table, under sub-rule (1) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the Fourth Report of the Rules Committee.

MR. SPEAKER : I very much like your tone and you also look more handsome in that seat !

PETITION RE. UNEMPLOYMENT AND OTHER GRIEVANCES OF YOUTH

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I beg to present a petition signed by Shri C.K. Chandrappan, General Secretary, All India Youth Federation, and others regarding unemployment and other grievances of youth.

Sir, this has been signed by over a million youth.

MR. SPEAKER : It is laid on the Table.

12.30 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF SELECT COMMITTEE

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : I beg to move :

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Income-tax Act 1961 the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, upto the 30th April, 1970."

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964, upto the 30th April, 1970."

The motion was adopted

12.31 hrs.

KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further clause-by-clause consideration of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Bill. *Clause 9.*

[Mr. Speaker]

Clause 9—(*Meetings*) *of Board*

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

Page 4, line 33, *after* "person" *insert*—
"except his relatives" (13)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मेरा भी संशोधन संख्या 21 इस क्लाज़ पर है। मैं भी इसे रख रहा हूँ :

Page 4, *omit* lines 31 to 33. (21)

श्री शिव चंद्र झा: अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर नवीं क्लाज़ में विधेयक में कहा जा रहा है कि :

"If any nominated member, being an officer of Government, is unable to attend any meeting of the Board, he may, with the previous approval of the Chairman, authorise any person in writing to do so."

मैं आपके जरिये शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, मैनेजमेंट जो है, उसमें खुदाबख्श के परिवार के लोगों को आप ला ही रहे हैं, साथ-साथ दूसरे जो नामिनेटेड मेम्बर होते हैं उन को भी आप छूट देते हैं कि जिसको वह चाहें नामिनेट करें, वह उनके रिलेटिव को भी नामिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। वह अपने दोस्त को नामिनेट करें या किसी और को करें, रिलेटिव उसमें नहीं आए। जो गवर्नमेंट आफिसर है और जो प्रेजेन्ट नहीं होता है मीटिंग में वह ऐसे आदमी को नामिनेट न करे जो उसका रिलेटिव हो, मेरा यही संशोधन है कि एक्सेप्ट एनी रिलेटिव—यानी किसी आदमी को अपनी जगह काम करने के लिए वह नामिनेट कर सकते हैं एक्सेप्ट एनी रिलेटिव, अपने रिलेटिव को छोड़ कर। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और इस संशोधन को मान लें तो उचित होगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का महत्व बतलाते हुए सरकार ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और मैं समझता हूँ कि है भी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपने ऐसे आदमियों को रखा है जिनमें योग्यता हो, एक्सपीरिएंस हो, वही इस बोर्ड के मेम्बर हो सकते हैं और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के नामिनेशंस हैं। लेकिन इसमें आपने यह लिखा है कि :

"If any nominated member, being an officer of Government, is unable to attend any meeting of the Board, he may, with the previous approval of the Chairman, authorise any person in writing to do so."

कोई पब्लिक का आदमी अगर यह कहे कि वहाँ जाने के लिए उस पर समय नहीं है, उसके लिए वह अपनी असमर्थता प्रकट करे तो बात समझ में आती है लेकिन सरकारी व्यक्ति ऐसे कहे तो आश्चर्य है। गवर्नमेंट आफ़िशियल आपने ऐसे आदमी को नामिनेट किया है जो वहाँ की लाइब्रेरी के लिए योग्यतम आदमी है जो वहाँ कुछ कांट्रीब्यूट कर सकता है। वह नामिनेटेड आदमी फिर अपने आदमी को नामिनेट करे यह उचित नहीं। यदि वह मीटिंग अटेंड करने में असमर्थ है तो मेरा यह कहना है कि यह बात सिद्धान्ततः गलत है। कोई भी नामिनेटेड आदमी असमर्थ है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए या उसके स्थान पर दूसरे आदमी की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके स्थान पर उसकी ओर से किसी दूसरे आदमी को बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यह लाइब्रेरी के प्रबन्ध का प्रश्न है और वह विशेषज्ञ लोगों का बोर्ड है। उसमें विशेषज्ञ ही राय दे सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से उसका बोर्ड बनाया जाता है। लेकिन एक आफिसर को यह अधिकार हो कि वह चेयरमैन से पूछ कर किसी और आदमी को अपनी जगह भेज दे, इसमें बैकडोर से गड़बड़ करने

की एक संभावना हो सकती है क्योंकि किसी भी आदमी को वह भेज सकता है, इस में है। गवर्नमेंट का जो नामिनेटेड आफिसर है वह एक आदमी को किसी को भी भेज सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसमें इतनी बड़ी पावर दे दी गई है कि जो थर्ड आदमी जाकर अटेंड करेगा वह क्या दृष्टिकोण पेश करेगा, वह किस प्रकार की राय वहां देगा, इसके ऊपर कोई बन्धन नहीं है। हालांकि उसको वोटिंग राइट नहीं है, यह मैं जानता हूँ। परन्तु उसमें भी जाकर अपनी जो सम्मति वह पेश करेगा उसका प्रभाव होगा। उसका वास्तव में सही कांट्रीब्युशन होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस प्रकार का अधिकार किसी भी नामिनेटेड मेम्बर को नहीं देना चाहिए चाहे वह गवर्नमेंट का मेम्बर हो या किसी और का हो जो वहाँ गैरहाजिर रहे और अपनी जगह दूसरे आदमी को भेज सके। मैं तो समझता हूँ कि इसमें तो होना यह चाहिए कि अगर लगातार दो-तीन मीटिंग में कोई आदमी अनुपस्थित रहता है तो उसका नामिनेशन और उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि क्लाज के द्वारा उस लाइब्रेरी की व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं उपस्थित करनी चाहिए जिससे कि कल को यह शिकायत आए कि ऐसा अनवांछित आदमी इसमें आ गया है। इसमें यह बात मानी गई है कि चेयरमैन की सम्मति से वह आदमी भेज सकता है लेकिन चेयरमैन कोई भगवान तो है नहीं। वह कोई इस प्रकार का आदमी तो है नहीं कि वह अपने स्वार्थ से ऊंचा हो। वह दोनों मिलाकर किसी ऐसे अनवांछित आदमी को, जिसके आने से हानि हो, बुला सकते हैं और इस प्रकार इतने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में, उसकी व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए यह धारा ही समाप्त होनी चाहिए। 30 और 31 तक की पंक्तियां समाप्त कर देना चाहिए।

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : Mr. Speaker, Sir, I am afraid I am not able to accept either of the two amendments. I do not see any reason why in the very unusual circumstance of a relative being eligible for nomination to attend the meeting he should be excluded. I do not agree with the thinking that everybody who is placed in any position of authority is necessarily going to act in a wrong kind of way. I also do not accept the arguments which have been adduced by my hon. friend who spoke just now that the Chairman is not god and that he in collusion with the official member may bring in some undesirable persons and so on. I would like to suggest that none of these arguments is tenable, Government is not in a position to accept either of the amendments.

MR. SPEAKER : I will now put amendment No. 13 by Shri Shiva Chandra Jha and 21 by Shri Om Prakash Tyagi to the vote of the House.

Amendments Nos. 13 and 21 were put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 9 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10—(*Temporary association of persons with Board for particular purposes*)

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Sir, I move :

Page 4, line 40,—

after "any person" *insert*—

"except a relative of any member of the Board," (22)

MR. SPEAKER : I shall put the amendment to the vote of the House.

Amendment No. 22 was put and negatived

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 13 were added to the Bill.

Clause 14—(*Location of Library.*)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Sir, I move :

Page 5, line 28,—

after "Patna" *insert*—

"at its original place" (14)

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि लाइब्रेरी पटना में ही रहेगी, पटना मुनिस्पिलटी के मातहत रहेगी, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जो इसकी ओरिजनल प्लेस है, पहली कोशिश यही होनी चाहिये कि वहीं पर रहे, वहाँ से किसी दूसरी जगह खिसकाई न जाय। अगर पटना के किसी दूसरे कोने में उठा कर ले जाते हैं, डीघा या बाँकीपुर में ले जाते हैं, तो इससे कालिज के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों को कठिनाई हो जायेगी और इस लाइब्रेरी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे संशोधन को इसमें जोड़ दिया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय जहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित है, वहाँ पर बहुत जगह है, आप जितनी स्टोरियाँ चाहें बना सकते हैं, जमीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर इसमें गुंजाइश छोड़ दी जायगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसको उठा कर पटना सीटी में ले जाय, या डीघा की तरफ ले जाय, उस स्थिति में सेन्टर-पटना इसके इस्तेमाल से वंचित रह जायगा। इसलिये मेरे संशोधन को स्वीकार करने की जरूरत है।

DR. V. K. R. V. RAO : In the interest of the future expansion and development of the Library, I am afraid, I am not able to accept the amendment. I shall certainly go there and see what is the position about the area of land that is there. But if the Library needs much more space to grow, I do not think we should inhibit ourselves against building it at a new place. So, I am unable to accept this amendment.

MR. SPEAKER : I shall put amendment No. 14 to the vote of the House.

Amendment No. 14 was put and negatived.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 28

MR. SPEAKER : The House shall now take up clauses 16 to 28 together because there are no amendments to them except by Shri Shiva Chandra Jha. He will move all his amendments to these clauses and speak on them so that we may save on time.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Sir, I move.

Clause 16

Page 6, line 7,—

after "lines" *insert*—

"including the microfilming of rare manuscripts" (15)

Clause 17

Page 6, line 24,—

after "articles" *insert*—

",microfilms" (16)

Clause 18

Page 6,—

after line 32, *insert*—

"Provided that such sums of money as provided by the Central Government by way of grant, loan or otherwise shall not

be less than 5 lakhs of rupees per year and not less than 5 lakhs of rupees at the initial stage specifically for the construction of the Library building." (17)

Clause 20

Page 7, line 26,—

after "year and" *insert*—

"shall not be" (18)

Clause 22

Page 8, line 27,—

after "Government" *insert*—

"and to the State Government" (19)

Clause 28

Page 10, line 16,—

after "used" *insert*—

"and the number of hours of the day when the library would be open and the Library shall have complete holidays only on January 26, August 15 and October 2." (20)

अध्यक्ष महोदय, क्लाज 16 में मैं चाहता हूँ कि विषय को थोड़ा साफ करने की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों को जाय—

"including the microfilming of rare manuscripts"

कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम वहाँ पर इस्तेमाल के लिये नहीं ला सकते हैं, जैसे कुछ रेअर-पाण्डुलिपियाँ हैं, जो दुनिया में किसी दूसरी जगह पर हैं, यहाँ उनको नहीं लाया जा सकता है, उनकी माइक्रोफिल्म लाई जानी चाहिये। जब तक ऐसी चीजों को हम अपनी लाइब्रेरी में नहीं लाते हैं, तब तक हमारी लाइब्रेरी अप-टू-डेट नहीं हो सकती है। इसलिये मैं चाहूँगा कि दूसरे मुल्कों से ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों की माइक्रो-फिल्म मँगवाने की व्यवस्था भी की जाय।

क्लाज 17 में भी मैंने यही संशोधन प्रस्तुत किया है कि "माइक्रोफिल्म" शब्द को जोड़ दिया जाय।

क्लाज 18 में फाइनेन्स की बात है। सबसे पहले तो मैं यह चाहता हूँ कि पुस्तकालय के लिये मकान का होना बहुत जरूरी है, इसके लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था इनीशियल स्टेज पर ही की जानी चाहिये, साल में कितना रुपया किस समय इस काम के लिए देना है, यह आप बाद में निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन पहले मकान अच्छा होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मकान बनाने के लिए आप कितना रुपया दे रहे हैं। फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम में ग्रान्ट के तौर पर 3 लाख रुपये का आपने उल्लेख किया है, उसके बाद एक लाख रुपया आप और देंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार कम से कम 5 लाख रुपया सालाना लाइब्रेरी को दे। मकान के लिये तो आप फौरन एलान करें कि 5 लाख रुपया उसको दिया जाएगा।

क्लाज 20 : सब-क्लाज 2 में मैं चाहता हूँ कि :

after "year and" *insert*
"shall not be"

को जोड़ दिया जाय। मान लीजिये केन्द्रीय सरकार ने 2 लाख रुपया दिया, उसमें से डेढ़ लाख रुपया इस्तेमाल हुआ, 50 हजार इस्तेमाल नहीं हुआ। आगामी वर्ष जब दो लाख रुपये देंगे तो उसमें बचे हुए 50 हजार को शामिल नहीं करेंगे। इस रुपये को ग्रान्ट में से काटा न जाय, इससे लाइब्रेरी के विकास में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर आप जानते हैं क्या होता है। ग्रान्ट केन्द्र सरकार की ओर से आती है, लेकिन इनएफिशियेन्सी, मिस-मैनेजमेंट की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो देखने के लिए तो हो जाता है कि 2 लाख रुपया दिया, लेकिन हकीकत में उतना

[श्री शिवचन्द्र झा]

इस्तेमाल नहीं होता है। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसी जो रकम बच जाय, उसको अगली ग्रान्ट में से न काटें, इससे रकम बढ़ती जायगी और लाइब्रेरी के विकास में फायदा होगा।

क्लाज 22 में आपने व्यवस्था की है कि बोर्ड सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न, स्टेटमेंट आदि भेजेगा, कितना रुपया आया है, कितना खर्च हुआ है, यह सब हिसाब सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा जायगा। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड इस हिसाब-किताब को केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ही न दे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजे।

28 में मेरा संशोधन है कि जो उसकी सब क्लाज 2 (ए) है :

"the conditions and restrictions subject to which manuscripts and books in the library may be used ;"

इसमें आप जो रूल्स ऐंड रेगुलेशन्स बनायेंगे कि लाइब्रेरी का कैसे इस्तेमाल किया जाये, क्या कायदे-कानून होंगे, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद आप साफ-साफ यह भी जोड़ दें :

"and the number of hours of the day when the library would be open and the Library shall have complete holidays only on January 26, August 15 and October 2."

कलकत्ते की नैशनल लाइब्रेरी साल में तीन दिन बन्द होती है—एक तो 26 जनवरी को, दूसरे 15 अगस्त को और फिर 2 अक्तूबर (गांधी जयन्ती) को। मैं इसको अच्छा समझता हूँ और चाहता हूँ कि यह जो आप ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी बनायेंगे वह भी पूरे साल खुली रहे सिवाय इन्हीं तीन दिनों को छोड़कर। इसके अलावा आप समय भी निर्धारित कर दें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात दस बजे तक या जो भी समय उचित हो, वह खुली रहेगी। इसके लिए आप नियम बनावें। यही मेरा संशोधन है मैं चाहूँगा कि मन्त्री जी इनका जवाब दें और मंजूर भी करें।

DR. R.K.R.V. RAO : As far as amendment 15 is concerned, the hon. Member will be glad to hear that I am prepared to accept the amendment ; the only thing is that I will put those words within brackets because this sounds as on modern scientific lines. So, these words will be there but they will be put within brackets, I hope the hon. will now be prepared to accept my rejection of the other amendments that he has proposed. I am afraid, none of the other amendments that he has proposed is acceptable to me, because we have not put a minimum financial provision even in the Salarjung Museum Act. I can assure him that as and when requirements are there, we shall try our best to meet those requirements because we are interested in the proper maintenance and development of the Khuda Bakhsh Library. Therefore, I am not accepting his amendment No. 17. I am afraid I cannot accept his amendment No. 18 because though they are small financial regulations which are going to prevent money getting lapsed, it would mean that there would be an incentive for the organisation not to open the money properly.

श्री शिव चन्द्र झा : उसके लिए एक अच्छा मकान हो, इनीशल स्टेज में उसके लिए आप खास खयाल रखेंगे या नहीं ?

DR. V.K.R.V. RAO : I have gone very much out of my way to accommodate my hon. friend because of the respect that I have for him. I can assure him that when requirements are there, we will see what we can do about them. I am not accepting his amendment No. 18 and nor am I accepting amendment No. 19. I accepted his previous amendment because there it was sending the letter of resignation to the State Government. But here it is a question of accounts. The authority is the Central Government. It will be an institution of national importance. The State Governments have agreed to this particular clause. I am, therefore, unable to accept that amendment.

Regarding holidays, I do not think that it will be proper on the part of Parliament to lay down in an Act on what days the Library shall remain open and on what days it shall remain closed. We can leave it to the good judgement and sense of the Board. I am, therefore, not able to accept that amendment also.

In consequence of the amendment that I have accepted, there will be some consequential amendments. They are purely verbal amendments. If I have your permission, I should like to move them just now nor after...

MR. SPEAKER : After I have finished this. I shall now put to the vote amendments 15, 16, 17.....

DR. V. K. R. V. RAO : I am accepting amendment No. 15 within brackets.

MR. SPEAKER : I shall now put amendment No. 15 to the vote of the House. The question is :

"Page 6, line 7,-

after "lines's *insert*

"including the microfilming of rare manuscripts." (1)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now the question is :

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 16, as amended, was added to the Bill

MR. SPEAKER : I shall now put amendments 16 to 20 to the other clauses to the vote of the House.

Amendments No. 16 to 20 were put and negatived.

MR. SPEAKER : Now the question is :

"That clauses 17 to 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 17 to 28 were added to the Bill.

(**Clause 1**—*Short title and Commence*)

DR. V. K. R. V. RAO : I beg to move :

Page 1, line 6,—

for "1968" *substitute* "1969" (2)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : I beg to move :

Page 1, line 5,—

for Public substitute "National" (5)

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने कल भी कहा था कि आप "पब्लिक" की जगह पर शब्द "नैशनल" क्यों नहीं रखते हैं ? आप इसका नाम खुदा बख्श ओरियंटल नेशनल लाइब्रेरी क्यों नहीं करते हैं ? इसमें आपको क्या एतराज है ? ओरियंटल शब्द तो रहता ही है, उसके साथ पब्लिक की जगह पर आप नेशनल कर दीजिए । नेशनल इम्पार्टेन्स के लिए आप कहते भी हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि पब्लिक की जगह पर शब्द नेशनल जोड़ दिया जाये ।

DR. V. K. R. V. RAO : This was answered yesterday and this is also part of the record.

MR. SPEAKER : You are not willing to accept it ? No. Now the question is :

Page 1, line 6,—

for "1968" *substitute* "1969". (2)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now I will put amendment No. 5 of Shri Shiva Chandra Jha to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negative

MR. SPEAKER : Now I will put clause 1, as amended, to the vote of the House. The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

DR. V. K. R. V. RAO : I beg to move :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute*—

"Twentieth" (1)

MR. SPEAKER : The question is :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute*—

"Twentieth" (1)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now the question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

Title

MR. SPEAKER : The question is :

"That the title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

DR. V. K. R. V. RAO : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER : Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. Abdul Ghani Dar.

13 hrs.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, मैं इस बिल के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ लाइब्रेरियां हैं जिनमें ऐसी पुस्तकें हैं जोकि सरकार के विचारों की निन्दा करती हैं और सरकारें तब सोचती हैं कि जो भी किताब सरकार को गिराने वाली हो उसको वह बैन कर दें। मुझे याद है कि मैंने सन् 1943 में जब मुसलमानों ने रावलपिंडी में···

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگانواں) جناب سپیکر صاحب۔ میں اس بل کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لائبریریاں ہیں جن میں ایسی پستکیں ہیں جو کہ سرکار کے وچاروں کی نندا کرتی ہیں۔ اور سرکاریں تب سوچتی ہیں کہ جو بھی کتاب سرکار کو گرانے والی ہو اس کو وہ بین کردیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سنہ ۱۹۴۳ میں جب مسلمانوں نے راولپنڈی میں .....]

MR. SPEAKER : There are many hon. Members who are wanting to speak. So, we shall now adjourn and meet after lunch. The hon. Member may continue his speech after lunch.

13.01 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Past Fourteen of the Clock.

[SHRI M. B. RANA *in the Chair*]

KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL—*Contd.*

श्री अब्दुल गनी डार : सभापति महोदय, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये...

[شری عبدالغنی ڈار ۔ سبھاپتی مہودے، میں اس بل کی مخالفت کرنے کے لئے.....]

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, आपसे मेरी गुजारिश यह है कि परसों मेरी स्पीकर साहब से बात हुई थी। मैंने प्रिविलेज मोशन दिया था, लेकिन मैंने वचन दिया था कि मैं उसको पहले दिन नहीं उठाऊँगा। इसीलिए मैंने कल उसको नहीं उठाया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कोई निर्देश या हिदायत क्या स्पीकर साहब ने दिया है कि मैं उसको कब उठाऊँ? आज उठाऊँ या कल उठाऊँ? अगर आप मुझको यह बतलायेंगे तो अच्छा रहेगा।

MR. CHAIRMAN : I have not received anything from the Speaker. I shall find out from the Speaker.

श्री अब्दुल गनी डार : मैं इस बिल की मुखालिफत...

[شری عبدالغنی ڈار ۔ میں اس بل کی مخالفت.....]

MR. CHAIRMAN : We are now on the third reading. Already, we have exceeded the time allotted. So, hon. Members should be very brief.

SHRI ABDUL GHANI DAR : You had not allowed me in the first reading, and so, I must have the chance on the third reading. Under the rules, you cannot stop me. I want to oppose this Bill.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member can oppose the Bill. But there is some time-limit to that. Already, we have exceeded the time allotted.

SHRI ABDUL GHANI DAR : But you should certainly allow me to say something. Otherwise, it is no use my participating in the discussion.

कुछ ऐसे उसूल हैं जिनकी बिना पर मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। पहली बात तो यह है कि इस सोई हुई सरकार को 23 बरस के बाद कैसे यह खयाल आया कि वहाँ एक बड़ा भारी कीमती जखीरा है जो अरबी में है, जो फारसी में है, जो उर्दू में है और उसकी हिफाजत हमें करनी चाहिये क्योंकि यह देश के हित में है। चूंकि बिहार सरकार इसमें फेल हुई है इसलिए हिन्द सरकार उसको अपने कब्जे में लेती है। साथ ही एक लाख रुपये का जो बोझा है उसको भी अपने सर पर लेती है।

दूसरी बात यह कि कोई भी सरकार हो, यह सरकार हो या कोई और, अगर उसकी पालिसी के खिलाफ किसी लाइब्रेरी में, चाहे खुदाबख्श लाइब्रेरी हो चाहे कोई और, किताबें मौजूद हैं तो उसके लिए रुपया खर्च करना उसकी दानिशमन्दी नहीं है। इस बारे में मैं यह दलील दे रहा था कि जब आजादी मिलने वाली थी तब मैंने एक किताब लिखी थी "कांग्रेस इन डेंजर"। उसमें मैंने सिर्फ यह कहा था कि जैसे काश्मीर में नैशनल इंटेग्रेशन के लिये माइनारिटी को मैजारिटी के बराबर हिस्सा मिला हुआ है उसी तरह से बाकी स्टेटों में भी 50-50 परसेंट दिया जाये। पुलिस और फौज में भी इसी तरह से माइनारिटी को हिस्सा दिया जाये। उस वक्त की सरकार को यह बात सूट नहीं करती थी और मेरी किताब जब्त कर ली गई।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : बराबर का हिस्सा नहीं मिला हुआ है।

श्री अब्दुल गनी डार : आप मुझको कह लेने दीजिये, उसके बाद अपनी बात कहियेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेरी किताब में

[श्री अब्दुल गनी डार]

कोई बगावत नहीं थी। सिर्फ अपने देश के हित की बातें थीं, लेकिन वह जब्त कर ली गई क्योंकि उस वक्त की सरकार को यह बात पसन्द नहीं थी। मैं डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के माने यह समझता था कि वह भी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं जो दुश्मनों के हाथों उजाड़े गये और वह भी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं जो अपने हाथों उजाड़े गये। लेकिन सरकार को यह बात पसन्द नहीं थी और मेरी किताब जब्त कर ली गई। इस वक्त जो किताबें मौजूद हैं उनमें सेकुलरिज्म नहीं है, सेकुलरिज्म के बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। उसमें है कि सच बोलो और इस सरकार की रग-रग में है कि झूठ बोलो। उसमें है कि न्याय करो, यह सरकार कहती है कि न्याय न करो। उसमें है कि हर मजहब की हर तरह से इज्जत करो और इस सरकार की रग-रग में है कि मजहब की जितनी तौहीन हो सकती है करो। ऐसी हालत में सरकार क्यों एक लाख रुपये का बोझा अपने सिर पर लेती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि खास तौर पर जब यह सरकार उन लोगों के भरोसे पर है जिन्होंने देश की जंग आजादी के वक्त में **पीपल्स वार** का नारा लगाया था और हम लोग **दू और डाई** की बात कह रहे थे। अब 24 साल बाद फिर वह इस सरकार को सहारा देने के लिये आये हैं जो कि माइनारिटी में है। अगर वह इनके खयालात के मुताबिक नहीं चलेगी तो एक मिनट में मारकर निकाल देंगे। जब यह सरकार उनके हाथ में है और उनके मुताबिक चलना चाहती है तब क्यों खामखाह परशियन, अरेबिक और उर्दू की बहुत-सी किताबों की हिफाजत करना चाहती है?

बोर्ड के बारे में सरकार कहती है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे बनायेंगे। मुझे माफ करेंगे अगर मैं कहूँ कि बन्दर को क्या मालूम कि अदरक का मजा क्या होता है। जिनको फारसी अरबी से आशनाई नहीं है उनको अगर बोर्ड में रख दिया जाए तो वे वहाँ जाकर क्या करेंगे? सरकार को एक बात बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि जो किताबें भी लाइब्रेरीज में उनकी जो मौजूदा पालिसी है उसके मुताबिक हों चाहे वह फारेन पालिसी हो या होम पालिसी हो और चाहे कुछ भी हो, उनकी ही मदद की जाए और जो इस पालिसी के मुताबिक न हों उनकी मदद उनको नहीं करनी चाहिए। यह इनके हित में है।

अगर आपने लेनी ही हैं और अपनी मौत का आपने सामान करना ही है तो फिर उसको इज्जत से लो। तब फिर थोड़ी सी इधर-उधर देखरेख या थोड़ी-बहुत तबदीली से काम नहीं चलेगा। तमाम लाइब्रेरीज को जैसे कलकत्ते की है या और हैं, उन सबको बिल्कुल एक तीर्थ स्थान आपको बना देना चाहिए और मेरे जैसे जो पागल होंगे वे जाकर उनके दर्शन कर आया करेंगे और जो कम्युनिस्टों के जोर साया होंगे वे नहीं जायेंगे। (**इन्टरप्शंज**).....

.....हम जानते हैं कि सरकार इस वक्त सिर्फ कम्युनिस्टों के सहारे चल रही है, वर्ना सरकार एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इन सब लाइब्रेरीज को एक जगह पर इकट्ठा कर दें और सरकार के जेर साया ऐसी लाइब्रेरीज को रखने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उनके लिए कोई स्थान है सिवाय इसके कि उनको एक अजायबघर की तरह से ये सजा दें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से सरकार को यह सोचना चाहिए। (**इन्टरप्शंज**).....

.....कम्युनिस्टों को दुःख है कि मैं खरी-खरी बातें कह रहा हूँ। ये बैकडोर से राज करना चाहते हैं, बैकडोर से देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। यह बात उनके दिमाग से निकल जानी चाहिए। हम फ्रंट से करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम करेंगे और कोई रोक नहीं सकेगा। हम इण्डोनेशिया की तारीख को याद रखें। श्री एस० एम० बनर्जी रोज चंडूखाने की बात करते रहे हैं और हम बरदाश्त करते रहे हैं।

[کچھ ایسے اصول ہیں جن کی بناپر میں اس بل کی مخالفت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوئی ہوئی سرکار کو ۲۳ برس کے بعد کیسے یہ خیال آیا کہ وہاں ایک بڑا بھاری ذخیرہ ہے۔ جو عربی میں ہے۔ جو فارسی میں ہے۔ جو اردو میں ہے۔ اور اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیئے کیونکہ یہ دیش کے ہت میں ہے۔ چونکہ بہار سرکار اس میں فیل ہوئی ہے۔ اس لئے ہند سرکار اس کو اپنے قبضہ میں لیتی ہے۔ ساتھ ہی ایک لاکھ روپے کا جو بوجھا ہے اس کو بھی اپنے سر پر لیتی۔

دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سرکار ہو۔ یہ سرکار رہے یا کوئی اور۔ اگر اس کی پالیسی کے خلاف کسی لائبریری میں۔ چاہے خدا بخش لائبریری ہو چاہے کوئی اور۔ کتابیں موجود ہیں تو اس کے لئے روپیہ خرچ کرنا اس کی دانشمندی نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ جب آزادی ملنے والی تھی تب میں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ کانگریس ان ڈینجر۔ اس میں میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جیسے کابینہ میں نیشنل انٹگریشن کے لئے مائناریٹی کو میجارٹی کے برابر حصہ ملا ہوا ہے۔ اس طرح سے باقی اسٹیٹوں میں بھی ۵۰ — ۵۰ پرسینٹ دیا جائے۔ پولیس اور فوج میں بھی اس طرح سے مائناریٹی کو حصہ دیا جائے۔ اس وقت کی سرکار کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی اور میری کتاب ضبط کر لی گئی۔

شری بلراج مدھوک (دکشن دہلی): — برابر کا حصہ نہیں ملا ہوا ہے۔

شری عبد الغنی ڈار — آپ مجھ کو کہہ لینے دیجئے۔ اس کے بعد اپنی بات کہیئے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری کتاب میں کوئی بغاوت نہیں تھی۔ صرف اپنے دیش کے ہت کی باتیں تھیں۔ لیکن وہ ضبط کر لی گئی کیونکہ اس وقت کی سرکار کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ میں ڈسپلیسڈ پرسنس کے معنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی ڈسپلیسڈ پرسنس ہیں جو اپنے ہاتھوں اجاڑے گئے۔ لیکن سرکار کو یہ بات پسند نہیں تھی اور میری کتاب ضبط کر لی گئی اس وقت جو کتابیں موجود ہیں ان میں سیکولرزم نہیں ہے۔ سیکولرزم کے دو دو دھا باتیں ہیں۔ اس میں ہے کہ سچ بولو۔ اور اس سرکار کی رگ رگ میں ہے کہ جھوٹ بولو۔ اس میں ہے کہ نیائے کرو — یہ سرکار کہتی ہے کہ نیائے نہ۔ اس میں ہے کہ ہر مذہب کی ہر طرح سے عزت کرو۔ اور اس سرکار کی رگ رگ میں ہے کہ مذہب کی جتنی توہین ہو سکتی ہو کرو۔ ایسی حالت میں سرکار کیوں ایک لاکھ روپے کا بوجھا اپنے سر پر لیتی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ خاص طور پر جب یہ سرکار ان لوگوں کے بھروسہ پر ہے۔ جنہوں نے دیش کی جنگِ آزادی کے وقت پیپلس وار کا نعرہ لگایا تھا اور ہم لوگ ڈو آر ڈائی کی بات کہہ رہے تھے۔ اب ۲۴ سال بعد پھر وہ اس سرکار کو سہارا دینے کے لئے آئے ہیں جو کہ مائناریٹی میں ہے۔ اگر وہ ان کے خیالات کے مطابق نہیں چلے گی تو ایک منٹ میں مار کر نکال دیں گے۔ جب یہ سرکار ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے مطابق چلنا چاہتی ہے۔ تب کیوں خواہ مخواہ پرشین، عربک اور اردو کی بہت سی کتابوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔

بونڈ کے بارے میں سرکار کہتی ہے کہ ہم جیسے چاہیں گے

ویسے بنائیں گے۔ مجھے معاف کریں گے اگر میں کہوں کہ بندر کو کیا معلوم کہ ادرک کا مزا کیا ہوتا ہے۔ جن کو فارسی، عربی سے آشنائی نہیں ہے۔ ان کو اگر بورڈ میں رکھ دیا جائے تو وہ وہاں جاکر کیا کریں گے۔ سرکار کو ایک بات بالکل سپشٹ کرنی چاہیئے کہ جو کتابیں کبھی لائبریری میں ان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے مطابق ہوں چاہے وہ فارین پالیسی ہو یا ہوم پالیسی ہو اور چاہے کچھ بھی ہو۔ ان کی ہی مدد کی جائے اور جو اس پالیسی کے مطابق نہ ہوں ان کی مدد ان کو نہیں کرنی چاہیئے۔ یہ ان کے ہت میں ہے۔

اگر آپ نے لینی ہے۔ اور اپنی موت کا آپ نے سامان کرنا ہے تو پھر اس کو عزت سے لو۔ تب پھر تھوڑی سی ادھر ادھر دیکھ ریکھ یا تھوڑی بہت تبدیلی سے کام نہیں چلے گا۔ تمام لائبریریوں کو جیسے کلکتہ کی ہیں یا اور ہیں ان سب کو بالکل ایک تیرتھ ستھان آپ کو بنا دینا چاہیئے اور میرے جیسے جو پاگل ہوں گے وہ جاکر ان کے درشن کر آیا کریں گے اور جو کمیونسٹوں کے زیر سایہ ہوں گے وہ نہیں جائیں گے۔ (انٹرپشن) ہم جانتے ہیں کہ سرکار اس وقت صرف کمیونسٹوں کے سہارے چل رہی ہے۔ ورنہ سرکار ایک دن کے لئے بھی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو ان سب لائبریریوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں اور سرکار کے زیر سایہ ایسی لائبریریز کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کے لئے کوئی ستھان ہے سوائے اس کے کہ ان کو ایک عجائب گھر کی طرح سے یہ سجا دیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نشپکش ڈھنگ سے سرکار کو یہ بات سوچنی چاہیئے (انٹرپشنز) کمیونسٹوں کو دکھ ہے کہ میں کھری کھری باتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بیک ڈور سے راج کرنا چاہتے ہیں۔ بیک ڈور سے دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دینگے۔ یہ بات ان کے دماغ سے نکل جانی چاہیئے۔ ہم فرنٹ سے کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کرینگے اور کوئی روک نہیں سکے گا۔ ہم انڈونیشیا کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ شری ایس۔ ایم بنرجی روز چنڈو خانے کی بات کرتے رہتے ہیں اور ہم برداشت کرتے رہے ہیں۔]

श्री बलराज मधोक : खुदाबख्श ओरियंटल लाइब्रेरी के सम्बन्ध में यह बिल इस सदन के सामने कई वर्षों से था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आखिर यह पास होने जा रहा है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसकी आवश्यकता भी थी।

मैं मंत्री महोदय को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। इसका नाम ओरिएन्टल लाइब्रेरी है। ओरिएन्टल में केवल पर्शियन, अरेबिक, उर्दू ही नहीं आते हैं। उर्दू तो माडर्न इंडियन लैंग्वेजिज में आती है। ओरिएन्टल के अन्दर संस्कृत भी आती है, पाली भी आती है और भी साहित्य जो है, ईस्ट में जिसका महत्व है, वह सब ओरिएन्टल लिट्रेचर में आ जाता है। यह जो साहित्य है इस लाइब्रेरी में यह मुख्य रूप से, पुस्तकें आदि हैं वे फारसी और अरबी की ही हैं। खान बहादुर खुदा बख्श बहुत बड़े स्कालर थे और उन्होंने जो उनका कलेक्शन था उसको राष्ट्र को दे दिया। परन्तु पटना के अन्दर और भी इस प्रकार के बहुत से कलेक्शंज हैं। आपको याद होगा डा० काशी प्रसाद जायसवाल का नाम जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, जिन्होंने पहले-पहल इण्डियन पालिटी के बारे में पुस्तक लिखी।

उनका बहुत बड़ा कलैक्शन वहां पर प्राचीन इतिहास पर है। राहुल सांकृतायन भी एक बहुत बड़े स्कालर हो गुजरे हैं। वह कई बार तिब्बत गए और वहां से तीन सौ खच्चरें मैनुसक्रिप्ट की और माइक्रो-फिल्म्ज़ की भर कर लाए। उनका कलैक्शन भी पटना में है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो लाइब्रेरी है यह सही अर्थों में ओरिएन्टल लर्निंग का केन्द्र बने और इसमें कई विंग बना दिये जायें। मेरा सुझाव होगा कि एक विंग तो जायसवाल विंग हो, एक विंग राहुल सांकृतायन विंग, एक विंग खुदा बख्श विंग हो और इस प्रकार यह जो लाइब्रेरी है यह केवल अरेबिक और परशियन तक ही सीमित न रहे बल्कि जितना भी ओरिएन्टल लिट्रेचर है और उस पर जितना भी साहित्य उपलब्ध है और खासकर जो पटना में ही उपलब्ध है वह सब इस लाइब्रेरी के अन्दर उपलब्ध हो। सैंट्रल गवर्नमेंट इसको ग्रांट देगी। वहां पर माइक्रोफिल्मिंग हो, या साईन्टिफिक ढंग से पाण्डुलिपियों का प्रिजर्वेशन होगा, उनकी रक्षा की जाएगी और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की और भी जो पुस्तकें हैं, जो लिट्रेचर है, उनकी भी रक्षा हो। मैं चाहता हूं कि सही अर्थों में यह ओरिएंटल लाइब्रेरी बने और उसका एक बड़ा भारी केन्द्र बने। इस के अन्दर बाकी कलैक्शंज जो पटना में अवेलेबल हैं और जो बाहर भी अवेलेबल हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था भी यहां की जाए ताकि सही अर्थों में यह राष्ट्रीय संस्था बन सके।

बिल में कहा गया है कि लोगों को नामिनेट किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार भी करेगी, प्रान्तीय सरकार भी करेगी, और ऐसे लोग होंगे जिनको लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान हो, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान हो। यह सब ठीक है। परन्तु उनको लिट्रेचर के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, इतिहास के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज नहीं कही गई है। मेरा सुझाव यह है कि इसमें जिन लोगों को नामिनेट किया जाए, उनमें मुख्य रूप में वे लोग होने चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन यह हो कि वे विद्वान हों संस्कृत, फारसी, अरेबिक, चाइनीज, जैपेनीज, पाली आदि भाषाओं के। अगर उन को ज्ञान है और वे इतिहासज्ञ हैं तो बहुत लाभ होगा। केवल किताबों और अलमारियों को ठीक तरह से रखा जाए और उनकी सफाई ठीक हो, यह काफी नहीं है। वहां पर किस प्रकार का साहित्य पड़ा हुआ है, उनको यह भी पता हो, उसका क्या लाभ उठाया जा सकता है, यह भी वे जानते हों। इस वास्ते मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि बोर्ड जो हो उसमें विद्वान और अच्छी क्वालिफ़िकेशंज वाले लोग रखे जायें।

देश के अंदर कई संस्थायें इस प्रकार की है जिनको आप नेशनल इंपोर्टेंस की संस्थायें बना रहे हैं। उन पर आप खर्चा भी करते हैं और वहां जो साहित्य है उसका प्रिजर्वेशन भी करते हैं। परन्तु उनका लाभ क्या हो रहा है, इसको भी आप देखें। भारत को आजाद हुए 22 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी कालेजों और स्कूलों में कौनसी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वही पढ़ाई जाती है जो वी० एस० स्मिथ ने लिखी थी। पचास साल पहले जो हिस्ट्री लिखी गई थी वही आज भी पढ़ाई जाती है। उन्हीं चीजों को आज भी दोहराया जा रहा है। यह कहा जाता है कि किसी देश के इतिहास को नष्ट कर दो तो वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रत्व को, हमारे नैशनलिज्म को नष्ट करने के लिए हमारे इतिहास को नष्ट किया। लेकिन हमें 22 सालों के अन्दर नेशन को बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था हमने नहीं किया। हमें चाहिये था कि इतिहास के बारे में हम शोध करवाते। आज भी हमें पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग बाहर से आये। दुनिया जानती है कि ऋग्वेद के अन्दर कहीं भी इस प्रकार का एवीडेंस नहीं मिलता कि आर्य लोग सैंट्रल एशिया से आए या कहीं और से आए। डा० सम्पूर्णानन्द बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने

[श्री बलराज मधोक]

किताब लिखी है, आर्यों का आदि देश··· (इंटरप्शंज) यह अनपढ़ लोगों की बात नहीं है। कुछ पढ़कर आओ, तब बात करो। हाउस के अन्दर इस प्रकार के लोग आ जाते हैं जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। उनसे क्या बात करूँ? मैं डा० राव से बात कर रहा हूँ—

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): Who has given you the right to prostitute history?

श्री बलराज मधोक: आपके सामने तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आप मस्त रहो। देश के अन्दर बहुत-सा साहित्य तैयार हुआ है। डा० ए० सी० दास की पुस्तक है, डा० सम्पूर्णानन्द की पुस्तक है, आर्यों का आदि देश। इसी प्रकार की बीसियों पुस्तकें लिखी गई हैं। और भी रिसर्च हुआ है और इन्टरनल एवीडेंस जो है वह भी मौजूद है। इस सबके बावजूद क्यों अंग्रेजों ने जो एक बात कह दी, उस पर ही हम चिपके हुए हैं। अगर वे अपने-आपको आर्यों का वंशज मानते और यह कहते कि आर्य बाहर से नहीं आए तो उनका अपमान होता। उन्होंने कहा कि सैंट्रल एशिया से ही नहीं, आर्य लोग स्कैंडेनेविया से, यूरोप से, हंगरी से आए। उनको लगता था कि ऐसा कहना उनके अपने हित में है। अब जबकि हम आजाद हो चुके हैं तो क्या भारत सरकार ने कोई स्कालर बिठाये कि वे रिसर्च करें, पता लगायें कि तथ्य क्या है, एवीडेंस को देखें और ठीक बात का पता चलायें। आजकल क्रोनोलोजी इस आधार पर चलती है कि सिकन्दर हिन्दुस्तान में 322 बी० सी० में आया। इसके आधार पर कहा जाता है कि बुद्ध 520 बी० सी० में हुआ। टी० एल० शाह ने महात्मा बुद्ध का समय 1800 बी० सी० बताया है। महाभारत पाँच हजार साल पहले लिखी गई थी। इस प्रकार से भारतीय स्कालर्ज ने जिन चीजों की खोजबीन की है उनको न मानकर जिन्होंने सिकन्दर के भारत पर आक्रमण को क्रोनोलोजी का शीट एंकर कहा है, उसको ही आधार मानकर चला जा रहा है। आप सोचते नहीं हैं कि भारतीय क्रोनोलोजी के बारे में पुनर्विचार आप करें। हमारे देश में बड़े-बड़े स्कालर मौजूद हैं। क्या भारत सरकार ने इस बारे में कुछ किया है? मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस संस्था को भारतीय इतिहास के बारे में शोध का केन्द्र, रिसर्च का सैंटर, बनाये। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे बारे में अंग्रेज या जर्मन जो कुछ कह गये हैं, वही वेद-वाक्य नहीं है। भारत के स्कालर्ज ने आर्यों के ओरिजिन और क्रोनोलोजी के बारे में जो कुछ कहा है, उस पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों के सामने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में पेश कर सकें। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि हम भारतीय ट्रेडीशन्ज को नहीं मानते हैं। संसार के हर एक देश का इतिहास उसकी ट्रेडीशन्ज से शुरू होता है। इसलिए हमारे लिए भारतीय ट्रेडीशन्ज का बहुत महत्व है। इस दृष्टि से इस ओरियंटल लाइब्रेरी को केवल एक लाइब्रेरी न बनाये रखकर इसको एक रिसर्च सैंटर बनाया जाये, जिसमें भारतीय ट्रेडीशन्ज, साहित्य और इतिहास के बारे में शोध हो। वहां पर अच्छे योग्य स्कालर रखे जायें, ताकि हमारे रुपये का सदुपयोग हो और जो काम भारत सरकार ने अब तक नहीं किया है, वह अब शुरू हो सके।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री रामजी राम (अकबरपुर): सभापति महोदय, मुझे इस पिलर के पीछे सीट दी गई

है, जिससे मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्य भी नरसिंह अवतार की तरह इस पिलर को तोड़कर सामने आ जायें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, अभी प्रोफेसर बलराज मधोक ने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि खुदाबख्श ओरियंटल लाइब्रेरी में दूसरी भाषाओं की पुरानी पुस्तकें रखी जायें, श्री काशीप्रसाद जैसवाल की रचनायें भी वहां रखी जायें और राहुलजी की रचनाओं और पांडुलिपियों आदि को भी वहां स्थान दिया जाये। उन्होंने यह बहुत सही बात कही है। इतने दिनों के बाद मैंने आज ही उनसे एक सही बात सुनी है।

श्री बलराज मधोक : शुक्र है !

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे तो ऐसा लगता था कि वह जो कुछ भी कहते हैं, वह गलत ही होता है।

श्री अमृत नाहाटा : माननीय सदस्य राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनकर बहक गये हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, वह गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने प्रारम्भ में जो कुछ कहा, मैंने उसके बारे में कहा है।

श्री अमृत नाहाटा : वह भी गलत था।

श्री रामावतार शास्त्री : यह प्रसन्नता की बात है कि इस हाउस के सभी दलों के सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है। लेकिन जो लोग यहां इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो समझते हैं कि इस लाइब्रेरी को विकसित करने से लाभ होगा, उनसे मेरा निवेदन है कि उर्दू, फारसी या अरबी का नाम आने पर या मुसलमानों का नाम आने पर वे नाक-भौं सिकोड़ने की कोशिश न करें। जिस सूबे से मैं आता हूं, जहां यह लाइब्रेरी स्थित है, वहाँ 1967 में उर्दू भाषा के विरुद्ध एक आन्दोलन शुरू किया गया और उस प्रश्न को लेकर खूंरेजी की गई। मेरा निवेदन है कि इस तरह की फूट डालने वाली बातें, एक भाषा विशेष और जाति विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाली बातें बाहर न की जायें।

श्री बलराज मधोक : ज्ञान किसी भी भाषा में हो, वह ज्ञान ही होता है।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा करने पर ही इस बिल के समर्थन का कुछ मतलब होगा। उर्दू भाषा में बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत पुस्तकें हैं। मैं इस प्रश्न में नहीं जाता कि उर्दू भाषा नयी है या पुरानी। लेकिन यह तथ्य है कि इस भाषा का साहित्य बहुत रिच है। हमारी आजादी के आन्दोलन में उर्दू भाषा और उसके साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इकबाल की इस कविता से कौन परिचित नहीं है : "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा।" उन्होंने इस भाषा के माध्यम से देश की गरिमा को बढ़ाया और देश की भावनात्मक एकता पर बल दिया।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने यह भी लिखा, "पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है।"

श्री बलराज मधोक : लेकिन क्या माननीय सदस्य यह नहीं जानते हैं कि इकबाल ने

[श्री रामावतार शास्त्री]

यह भी लिखा था, "मुस्लिम हैं, हमवतन हैं सारा जहाँ हमारा" ?

श्री रामावतार शास्त्री : जो लोग उर्दू भाषा और मुस्लिम अवाम के प्रति नफरत की भावना पैदा करते हैं और दंगे करवाते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि जब वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके वे बाहर इस तरह का विषैला प्रचार करके देश की एकता को छिन्न-भिन्न न करें, हमारे देश की आजादी को कमजोर न करें और हमारे देश के दुश्मन को मदद न पहुँचायें।

उर्दू भाषा हमारे देश की भाषा है। आज जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वे कहते हैं कि उर्दू भाषा पाकिस्तान की भाषा है या केवल मुसलमानों की भाषा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उर्दू भाषा इस देश के आठ करोड़ लोगों की भाषा है।

एक माननीय सदस्य : बारह करोड़ की।

श्री रामावतार शास्त्री : यह बारह करोड़ लोगों की भाषा है, जबकि मुसलमान केवल छः करोड़ हैं। इस प्रकार उर्दू उन छः करोड़ लोगों की भी भाषा है, जो मुसलमान नहीं हैं। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है, बल्कि हिन्दी, बंगला, उड़िया, मराठी और असमिया की तरह वह भी हिन्दुस्तान की अपनी एक भाषा है।

श्री बलराज मधोक : क्या हिन्दुस्तान के छः करोड़ मुसलमानों की भाषा उर्दू है ? क्या तमिलनाडु और केरल के मुसलमानों की भाषा उर्दू है ? स्थिति यह है कि तमिलनाडु के मुसलमानों की भाषा तमिल और केरल के मुसलमानों की भाषा मलयालम है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह गलत है, वह कम्युनलिज्म है, वह एक कम्युनल एपरोच है।

श्री अमृत नाहाटा : "इनकलाब जिन्दाबाद" सारे हिन्दुस्तान का नारा है और वह उर्दू का नारा है।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री मधोक की स्वयं की भाषा उर्दू है।

श्री बलराज मधोक : मेरी भाषा पंजाबी है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उर्दू चलती थी, इसलिए मैंने अपनी शिक्षा उर्दू में प्राप्त की है।

श्री रामावतार शास्त्री : यदि बिहार में अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू और दूसरे लोग यह आन्दोलन करते हैं कि उर्दू को उचित स्थान दिया जाये, स्कूलों में उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाये और राशन कार्ड तथा वोटर्ज लिस्ट आदि उर्दू में छापे जायें, तो जनसंघ के भाइयों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने उसका विरोध किया और रांची में दंगे करवाये।

श्री बलराज मधोक : माननीय सदस्य रांची के दंगों के बारे में रिपोर्ट को पढ़ें। उस रिपोर्ट ने उन दंगों के लिए आप लोगों पर दोष लगाया है, हम पर नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : आवश्यकता इस बात की है कि इस लाइब्रेरी में पांडुलिपियों और पुस्तकों आदि में वृद्धि की जाये। और अगर उसमें और ऐड करने की बात हो तो उससे मेरा मतभेद नहीं है। मेरा केवल इतना निवेदन है बार-बार कि उर्दू का शब्द जहाँ आए, अरबी का, फारसी का या मुसलमान का

शब्द आये वहाँ मेहरबानी करके साम्प्रदायिकता की बात न फैलाइए। कल इनकी पार्टी के सदस्य जो बोल रहे थे माननीय श्री वेणीशंकर शर्माजी, उन्होंने कहा कि इसका नाम बदल दिया जाय। क्यों बदल दिया जाय, क्या इसका औचित्य है नाम बदलने का ?

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भावना का परिचय यहाँ हम तमाम लोगों ने दिया है उस भावना का परिचय हम बाहर भी दें और उस लाइब्रेरी की तरक्की में हम आगे बढ़ें। उसमें जरा चैतन्यता लाने की कोशिश करें ताकि हिन्दुस्तान की सभ्यता, हमारी संस्कृति आगे बढ़े और दुनिया में हमारा नाम रोशन हो कि हिन्दुस्तान सचमुच में एक सेकुलर डेमोक्रेसी को मानने वाला है। मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

श्री शिव चंद्र झा : सभापति जी, बहुत सी बातें तो सामने आ गई हैं। बड़ी-बड़ी बातें आ गई हैं। लेकिन सवाल यह आता है इस सरकार के सामने कि और महकमों की जिस तरह की बातें हैं, उसी तरह कहीं ऐसा न हो कि यह बड़ी-बड़ी बातें कागजों में ही पड़ी रह जायं। उनके कार्यान्वियन में ढिलाई और सुस्ती होने लगे। इसका ख्याल सरकार को रखना होगा। इस दृष्टिकोण से मेरा पहला सुझाव है कि यह बिल पास हो जाने और कानून बनने के बाद सरकार एक समय निर्धारित करे कि इतने वक्त तक हम यह काम कर देंगे। मकान बनाने का काम या पांडुलिपि संग्रह करने का काम यह सब काम इतने-इतने समय के भीतर हम कर देंगे, इसके बाद यह प्रोग्राम रहेगा इस लाइब्रेरी को बढ़ाने का। यह मुस्तैदी इसके लिए चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तो अपनी जगह पर होगा लेकिन स्पाट पर जो लाइब्रेरियन होगा वह विद्वान जरूर हो लेकिन साथ-साथ यह भी ख्याल रखा जाय कि उसमें इनीशिएटिव हो। वह लाइब्रेरियन इनीशिएटिव लेकर काम करे। किसी तरह की सुस्ती लाइब्रेरी में न आने पाए, कोई ढिलाई न आने पाए और जो मकसद है उसको सामने रखकर वह काम करे। वह जिसको डायनेमिक कहते हैं उस तरह का इनीशिएटिव लेकर काम करने वाला लाइब्रेरियन होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि बावजूद इन बातों के आर्थिक बातें ऐसी होती हैं कि जिनसे पुस्तकालय का आगे बढ़ना या और विभागों के अन्दर विकास होने का काम ठप हो जाता है। तो आर्थिक बातों में सरकार ध्यान दे अर्थात् पैसा सरकार देती रहे। केन्द्र सरकार इसका ख्याल रखे। उसमें कंजूसी न करे। आपको कटौती करनी है तो कटौती के और बहुत से महकमे हैं, बहुत से आइटम्स हैं। उनमें आप कटौती करिए। लेकिन खुदाबख्श लाइब्रेरी को जो अनुदान देना है उसमें कटौती न करें। इसका सरकार ख्याल रखे कि आर्थिक धरातल पर कहीं लाइब्रेरी का काम रुकने न पाए।

चौथी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बातें हुई खुदाबख्श साहब के मुताल्लिक, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पब्लिकेशन, या कोई भी काम्प्रीहेंसिव जीवनी खुदाबख्श साहब की है आपके पास ? जिस तरह से दादा भाई नौरोजी की जीवनी आपने निकलवाई है, सी० आर० दास की निकलवा रहे हैं और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की निकलवा रहे हैं उसी तरह से मेरा सुझाव है कि काम तो हों, लेकिन उनके साथ-साथ खुदाबख्श साहब का एक अच्छा रिसर्च वर्क, उनकी एक काम्प्रीहेंसिव जीवनी सरकार निकाले। साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इस भावना को, इसके महत्व को तो आपने बताया लेकिन उस चिराग को जलाए रखने के लिए मेरा एक सुझाव यह भी है कि खुदा-बख्श लाइब्रेरी या इस ट्रस्ट की तरफ से एक ऐसे कम्पीटीशन या पब्लिकेशन कम्पी-

[श्री शिव चन्द्र झा]

टीशन निकलवाया जाय। इसकी तरफ से एक ऐसा कम्पीटीशन सारे देश में हो पुराने हमारे देश के इतिहास पर या हिन्दुस्तान की संस्कृति पर, इसके मुताल्लिक भी आप सोचें कि साल में एक ऐसा कम्पीटीशन हो जिसमें कि आप एक हजार या दो हजार रुपये का प्राइज़ चला दें तो यह चिराग जो जलाने जा रहे हैं, यह रोशनी और आगे जायेगी, सुदूर देहात तक, देश के कोने-कोने तक यह रोशनी जायगी। यही मेरे सुझाव हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय इन पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं तहे दिल से इस बिल का स्वागत करता हूँ और सरकार को सावधान करता हूँ कि इसके काम में कहीं सुस्ती न आए, ढिलाई न आए।

श्री बि० प्र० मंडल (माधेपुरा) : सभापति महोदय, हम लोग तो पटना के हैं, इसको जानने वाले हैं। हम लोगों को दो मिनट आप देते हैं यह काफी नहीं है।

खुदाबख्श लाइब्रेरी को मैं बचपन से जानता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि हमारे माननीय मंत्री और इनके प्रेडीसेसर जो त्रिगुण सेन साहब हैं उन्होंने आखिर इसमें क्या पाया जो इस लाइब्रेरी को इतना प्रीडामिनेंस दिया, प्रेफरेंस दिया जबकि पटना में डा० सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी भी एक है। डा० सच्चिदानंद सिन्हा 1885 ईस्वी से कांग्रेस मैंन रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी प्रापर्टी उस लाइब्रेरी को दे दिया और जबकि उसी बिहार में डा० श्रीकृष्ण सिन्हा लाइब्रेरी भी है। इनको सेलेक्ट न करके आपने खुदाबख्श लाइब्रेरी में क्या पाया जो उसे सेलेक्ट किया यह मैं समझ नहीं सका। पटना कालेज के बगल में यह लाइब्रेरी है, जब हम वहां पढ़ते थे तो सुनते थे कि इसमें बहुत पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट है लेकिन आज तक एक भी आदमी को हमने उस लाइब्रेरी में घुसते नहीं देखा चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो...(**व्यवधान**)...यह जाते होंगे।

सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि जो धूल में या गर्द में पड़े हुए हों उनको ऊपर उठाया जाय और लाल को या जवाहर को परखने वाले मिनिस्टर महोदय को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यह अच्छी बात है। मेरा सुझाव केवल यह है कि हम उसका स्वरूप सेकुलर स्टेट जो हमारी है, उसके मुताबिक कर दें। उसमें अगर सिर्फ परशियन का ही कुछ संग्रह हो, जैसा कि हम सुनते हैं कि उसमें कुछ फारसी और उर्दू का संग्रह है तो अगर ऐसा हो तो उसके साथ-साथ उसमें हिन्दी, संस्कृत, बंगला, तामिल, तेलगू और बाकी सब लैंग्वेजेज़ की पुस्तकें भी होनी चाहिएं जिससे कि सेकुलर स्वरूप उस लाइब्रेरी का हो... (**व्यवधान**)...सभापति जी, इसके साथ-साथ हमारा यह कहना है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी के साथ-साथ हमारी सरकार को चाहिए कि वह और जो वहाँ पर लाइब्रेरीज़ पब्लिक इम्पार्टेंस की पटना में है, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी, डा० श्रीकृष्ण सिन्हा लाइब्रेरी इन पर भी नजर फेरे, इनको भी देखे जरा क्योंकि डा० सच्चिदानन्द सिन्हा की जो लाइब्रेरी पटना में है वह एक यूनिक लाइब्रेरी है, उसमें यूनिक किताबें हैं। डा० सच्चिदानंद सिन्हा हमारी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के प्रेसीडेंट थे। 1885 से वह कांग्रेस मैंन भी थे और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो 50-60 लाख रुपए की जो भी थी, सारे जीवन की कमाई उन्होंने इसी लाइब्रेरी को दे दी। तो हम उम्मीद करेंगे कि खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी के साथ-साथ गवर्नमेंट ऐसा बिल बनाती जिसमें इन दोनों लाइब्रेरियों को भी आप लेते तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता। जरा आप ही बतायें कि आपने इस लाइब्रेरी में क्या पाया जो सबको छोड़कर खुदाबख्श लाइब्रेरी को आपने लिया? इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

DR. V. K. R. V. RAO : Mr. Chairman, Sir, my hon. friend Shri Abdul Ghani Dar talked about some book of his being proscribed. I do not know, If it is not proscribed, I shall try and see that a copy of

the book is placed in the Library. If it is prescribed. I do not know. If it is not proscribed, I am afraid, I cannot do anything about it.

As far as the Board of Management is concerned, there will be people who will not be just professional librarians but who will also know something about literature and languages like Persian, Arabic, Sanskrit, etc. etc. I would only like to point out that a professional librarian is not a person who only keeps the place clean. Actually, the Khuda Bakhsh Library is essentially a library of very old manuscripts. You require a great deal of technical skill in seeing that all those manuscripts are properly preserved. It is not so much the knowledge of literature or the knowledge of the language as competence in seeing that proper preservation is made of these very ancient manuscripts. That is the reason why the Bill was drafted as it is. I have already taken the point and I will see that not only professional librarians but also people who have the knowledge of literature and language will find a place in the Board.

Then, the suggestion that has been made by my hon. friend Shri Madhok is an interesting one, that the Library should not only consist of Arabic, Persian and Urdu books with which we start and that it should also include some other languages and some other collections. I am prepared to consider the suggestion. But I want to point out here that this Library is not intended to merely preserve what is already there. We want it to be a developing Library. We do not want merely to preserve what has already been collected by Khuda Baksh and his father. We want to develop it. That is why we want to make it an institution of national importance. Patna itself, I think, requires a first class Oriental Library. It is a very good Library. The suggestion made by my hon. friend Shri Madhok will be taken into account.

Now, my hon. friend Shri Ram Avtar Shastri brought in the whole subject of Urdu and Jana Sangh, this and that and so on. I do not know why we should get into this debate everytime when it is not relevant. I can understand when the subject is relevant. But I should like to point out that Urdu is a recognised language. The Government of India is making a special provision for the development of Urdu language. I think, the honourable House is aware that I have taken special interest myself in the particular subject and, in all fairness, not that I am a lover of the Members in the Opposition, the hon. Members who have spoken from the Opposition side, belonging to all political parties, have welcomed it and are very glad that Urdu, Persian and Arabic manuscripts are going to be looked after. All that I have suggested is, in addition, they must also take other languages into account to which, I am sure, there will be no objection at all.

My hon. friend, Shri B. P. Mandal asked us to why only the Khuda Baksh Library has been taken. He was trying to throw the responsibility on my hon. colleague Dr. Triguna Sen who is sitting next to me and on myself. Actually, I may tell him that it was in the Third Session of the Lok Sabha, when neither he nor I were Members of the Lok Sabha, let alone I being the member of the Treasury Benches, that the choice of this Library was made. It is a Library containing very rare manuscripts and we find a great deal of neglect going on in the matter of preserving the old manuscripts. That is the reason why it was taken up. As regards the other library mentioned by him, the Sachidanand Library, named after Shri Sachidanand Sinha who was a very distinguished and noble citizen of this country and who was a very scholarly person, I have no doubt that it is a great library of literature and the other manuscripts that are available.

My own inclination is that this Library develops specially from the point of view of manuscripts, not so much from the point of view of printed books, available in various languages in different neighbouring parts of the country. So, this Library will become really a big regional centre, not merely a Library for Patna, for manuscripts in different languages and it will be used by scholars in that part of the country.

Finally, my hon. friend Shri Shiv Chandra Jha wants me to be a good boy to follow it up. I shall try my best. I cannot guarantee all the time that I shall be a good boy. But I shall try my best to follow it up and take follow-up action.

Both of us are interested in this. He is a scholar because he has written books and I have read them and I can also call myself one in so far as I have written books. I shall try my best to take necessary follow-up action.

With these words, I have great pleasure in requesting the House to pass the Bill, as amended.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

14.45 hrs.

OILFIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS (DR. TRIGUNA SEN) : I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, be taken into consideration."

Under Entry 53 of List 1—Union List—of the Seventh Schedule of the Constitution of India, legislation towards regulation and development of oil-fields and mineral oil resources continues to be the responsibility of the Union Government. This responsibility had been borne even earlier by the Union Government and the Oilfields (Regulation and Development) Act was enacted in 1948 for the purpose. The Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, framed under sections 5 and 6 of the said Act, and amended from time to time, stipulated that royalty at the rate of Rs. 7.50 per metric tonne of crude oil and casing-head condensate and at 10 per cent of the value at the well-head of the natural gas obtained by the lessee, shall be paid.

The Prime Minister has now been pleased to give her award which provides for an increase in the rate of royalty payable for crude oil, etc., from Rs. 7.50 to Rs. 10.00 per metric tonne, with effect from 1st January, 1968. This enchanced rate has, therefore, to be applied not only to leases granted in future but also retrospectively to all leases with effect from 1st January, 1968. Now to give legal implementation to the Award, the Government have been advised that it is necessary to make appropriate provisions in the Act itself for imposing a liability to pay enhanced rate of royalty in the leases. Hence, this amendment.

The Bill incorporates a small amendment in the existing statute. I hope that the same will meet with the approval of all sections of the House.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : On a point of order. This Bill provides for collection of taxes...

AN HON. MEMBER : Royalty.

SHRI SRINIBAS MISRA : Taxes are also there. It is said here, 'the levy and collection of royalties, fees or taxes ..'.

This is purely a Money Bill, whatever may be the original Act. But the recommendation of the President is not there. Article 117(1) says :

> "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause...shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced .." etc.

I do not find the recommendation of the President in this Bill.

MR. CHAIRMAN : We have got Bulletin Part II, dated the 15th May, in which the Vice-President acting as President has given his recommendation.

SHRI SRINIBAS MISRA : That is all right.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Oilfield (Regulation and Development) Act, 1948, be taken into consideration."

Mr. Hazarika.